

कार्यालय कलेक्टर जिला - कोरबा (छ.ग.) एवं पदेन उप सचिव,  
छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

--: अधिसूचना --:

क./1362/भू-अर्जन/202202050400001 अ 82/2024

कोरबा, दिनांक 05.02.2024

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की झोरा-कोड़ियाघाट मार्ग में हसदेव नदी पर उच्च स्तरीय पुल के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन -

1. जिला - कोरबा
2. तहसील - अजगरबहार
3. ग्राम/नगर - कोड़ियाघाट
4. भूमि का क्षेत्रफल - 1.393 हे.

ख.नं.	रकबा
427/1/क/2	0.158
427/5	0.089
430/1	0.142
461/1	0.016
472	0.134
474	0.032
475/4	0.081
493	0.146
528/1	0.057
528/2	0.040
528/4	0.004
529	0.045
531/1	0.036
532	0.134
533/1	0.109
538/2	0.150
538/3	0.020
योग 17	1.393

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।  
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
एवं भू अर्जन अधिकारी  
कोरबा, जिला-कोरबा

(अप्रति वसंत)  
कलेक्टर  
जिला कोरबा  
एवं पदेन उप सचिव  
छ.ग.शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग